फर्द अहकाम

नियम 26

आज अदालत उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम भादरा

सुभाषचन्द्र बनाम् घनश्याम आदि

किस्म मुकदमा **RTAct. 212** नं० 13 / 11.03.2022 सन् 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
11-03-22	आज यह स्थगन प्रार्थना पत्र वकील प्रार्थी के द्वारा पेश किया। रिपोर्ट सिगेदार होने के बाद प्रकरण अन्तर्गत धारा 212 आर. टी.एक्ट दर्ज रजिस्टर किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेज, शपथ पत्र से सन्तुष्ट होकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस असर की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक जारी की जाती है कि चक 6 सीएचएन के खाता संख्या 18/92 की कुल 2.910 हैक्टेयर, इसी प्रकार चक 2 जेएसएल के खाता संख्या 22/99 की कुल 1.190 हैक्टेयर वाद भूमि में अप्रार्थीगण रहन, बेय व मुन्तकिल न करें तथा मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। बैंक ऋण (रोड़ा एक्ट), रास्ता, खाला विवाद, वाप्कोस कार्य, DILRMP पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नही होगी। आगामी तारिख पेशी तक आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित नहीं करने पर तथा प्रार्थी प्रतिनिधि उपस्थित न होने पर अस्थाई निषेधागा की अवधि नहीं बढाई जावेगी। इस सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को कोई उज्र एतराज हो तो असालतन या वकालतन इस न्यायालय में उपस्थित होकर पेश करें। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस रजिस्टर्ड डाक व साधारण सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 21/4/22 .... को पेश है।	
21/04/22	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी आवश्यक रूप से तामील करावें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 03.06.22 को पेश हो।	

03/06/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्य में व्यस्त... दिनांक 13/07/22 को पेश हो।

13/7/22 पत्रावली पेश हुई पीठासीन अधिकारी ...अन्य कार्य में व्यस्त... दिनांक 15/9/22 को पेश हो।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर फर्द या हुक्म ... जारी
22/26	वकील बादी/प्रतिवादी/प्रार्थी/अप्रार्थी उप. पत्रावली गत आदेशानुसार वास्ते...तलबी दिनांक 10/4/26 ... पेश हो।	
10/4/26	~~पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप.। वकील प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तलबी हेतु न्यायालय द्वारा अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 22/5/26 को पेश हो। अंतिम अवसर~~	
22/5/26	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी आवाज लगाई गई। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं अनुपस्थित। अतः पत्रावली अदम पैरवी अदम जवाबी में खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।	